कानून को जानें

1

सबके लिए कानून

विधि एवं न्याय मंत्रालय, (न्याय विभाग) भारत सरकार एवं
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, भारत (यू एन डी पी)
द्वारा संचालित ''एक्सेस टू जस्टिस परियोजना''
के अंतर्गत आईसेक्ट द्वारा निर्मित

सहयोग : राज्य संसाधन केन्द्र (आर.सी.ए.सी.ई.), भोपाल, म.प्र.

सत्यमेव जयते
Government of India

विधि एवं न्याय मंत्रालय,
(न्याय विभाग), भारत सरकार

AISECT
Education. Empowerment. Enterprise.

UNDP
Empowered lives.
Resilient nations.

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम,
(यू एन डी पी)

न्याय तक पहुंच - हमारा अधिकार

यह पुस्तक नवसाक्षरों को अपने पठन-पाठन के कौशल को विकसित करते हुए रोजमर्रा के जीवन में उपयोगी कानूनों की आधारभूत जानकारी प्राप्त करने में निश्चित ही मदद कर सकेगी। नवसाक्षरों के साथ अन्य सभी पाठकों और हाशिये पर जी रहे उपेक्षित और निर्बल पुरूष-महिलाओं को कानूनों की जानकारी के माध्यम से उनके अधिकारों की रक्षा के साथ उन्हें न्याय प्राप्त करने में भी मददगार होंगी।

लेखकों के नाम - संतोष कौशिक, संजय सिंह राठौर एवं डॉ. विश्वास चौहान

कथन - प्रकाशनों में दी गई कानूनी जानकारी लेखकों का अपना दृष्टिकोण है, जरूरी नहीं कि वही दृष्टिकोण भारत सरकार या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, भारत का भी हो।

इन पुस्तिकाओं में प्रकाशित किसी भी प्रकार की जानकारी, उदाहरण अथवा घटनाएं यदि पूर्व में प्रकाशित किसी सामग्री जैसी प्रतीत हों तो यह पूर्णतः संयोगवश है जिसके लिए इस परियोजना से जुड़ी संस्थाएं अथवा लेखक किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं हैं।

इस पुस्तिका में दी गई कानूनी जानकारियों के विस्तृत और सटीक अध्ययन के लिए कृपया मूल अधिनियम या योजना को अवश्य पढ़ें।

Copyright © Department of Justice, Govt. of India and UNDP India 2011

प्रकाशन के किसी भाग को आंशिक या पूर्ण रूप से उपयोग करने के लिए न्याय विभाग, भारत सरकार एंव यू.एन.डी.पी. भारत को आभार व्यक्त करते हुये लेखक का नाम, प्रकाशन का वर्ष आदि का उल्लेख करें।

भारत में प्रकाशित

सत्यमेव जयते
Government of India
विधि एवं न्याय मंत्रालय
(न्याय विभाग), भारत सरकार

संदेश

अपनी सरकार चुनने के अधिकार के बाद, ''न्याय तक पहुंच का अधिकार'' शायद लोकतंत्र को और मजबूत करने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। न्यायसंगत राष्ट्र ही प्रगतिशील राष्ट्र है, जहां लोगों के व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा, सामाजिक विकास की शक्ति को दर्शाता है। न्याय विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार, यू.एन.डी.पी. के सहयोग से ''उपेक्षित वर्गों के लिए न्याय तक पहुंच'' परियोजना का क्रियान्वयन कर रहा है ताकि समाज के कमजोर और हाशिये पर जी रहे लोगों की न्याय तक आसान पहुंच सुनिश्चित हो सके।

विधिक साक्षरता एवं कानूनी सशक्तिकरण, न्याय तक पहुंच की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विधिक साक्षरता को सुनिश्चित करने के लिए न्याय विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (DSE&L), मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के साथ मिलकर प्रयासरत है। न्याय विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, वास्तव में अलग-अलग विभागों, संस्थाओं और सामाजिक संस्थाओं के साथ सामंजस्य बढ़ाना चाहता है, जिससे समान प्रयासों की पुनरावृति को रोका जा सके तथा इस कार्यक्रम को व्यापक स्तर पर ले जाया जा सके। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (DSE&L), मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय ने विधिक साक्षरता को अपनी ''साक्षर भारत'' योजना के साथ शामिल कर क्रियान्वित करने की सहमति दी है। आजादी के बाद से ही सार्वभौमिक प्रौढ़ शिक्षा को पूरा करना प्रमुख राष्ट्रीय लक्ष्य रहा है, और शुरु से ही यह एक सफलतम अभियान रहा है। आज विधिक शिक्षा एवं साक्षरता की आवश्यकता युवा और प्रौढ़ों के लिए समान रुप से महत्वपूर्ण बन गई है।

साक्षरता कार्यक्रम प्रौढ़ों के लिए ज्ञान और कौशल को निरंतर विकसित करने के अवसर प्रदान करते हैं ताकि वे समाज के विकास में अपनी सकारात्मक भूमिका निभा सकें। न्याय विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार और यू.एन.डी.पी. की ''उपेक्षित वर्गों के लिए न्याय तक पहुंच'' परियोजना के अन्तर्गत विधिक साक्षरता पर 12 पुस्तकें तैयार की गई हैं जो इस वृहद प्रौढ़ शिक्षा

कार्यक्रम ''साक्षर भारत'' के एक भाग के रुप मे प्रयोग की जाएगीं। पुस्तकों की यह श्रृंखला बच्चों, महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांगों, एच.आई.वी./एड्स पीड़ित और असंगठित श्रमिकों के अधिकारो एवं सरकार समर्थित अनुदानों से संबंधित जटिल मुद्दों पर आसान समझ बनाने के लिए सरल फॉर्मेट और सरल भाषा में तैयार की गई है। इसके पीछे यही विचार है कि सभी नागरिक विभिन्न कानूनों, कानूनी सुरक्षा, अधिकारों और सरकार समर्थित अनुदानों के प्रति जागरुक होकर सार्वभौमिक मानवाधिकारों को जानते हुए न्याय तक पहुंच सकें।

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (DSE&L), मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय से जुड़ाव, विधिक साक्षरता को पूरे देश में पहुंचानें हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रसिद्ध सेमुअल जॉनसन ने एक बार कहा था कि, ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक वह जिस विषय मे हम स्वयं जानते हैं, तथा दूसरा, जिस विषय पर हमे पता है कि हम जानकारी कहां से प्राप्त कर सकतें हैं। मैं यह आशा करती हूं कि इन पुस्तकों के माध्यम से आधारभूत कानूनी जानकारी, लोगों तक पहुंच सकेंगी और लोगों के दैनिक जीवन से संबंधित चुनौतियों पर और अधिक जानकारी प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करेंगी। इन पुस्तकों की रुपरेखा इस तरह तैयार की गई है कि ज्ञान मे वृद्धि के फलस्वरुप, स्वतः लोगों की न्याय तक पहुंच संभव हो सके। हमारी यही आशा है कि जानकारी और प्रयासों का आदान-प्रदान, व्यक्तिगत अधिकारों एवं सरकार समर्थित अनुदानों के प्रति जागरुकता, लोगों को एक जिम्मेदार एवं कानून की पालना करने वाला नागरिक बनने मे सहायक होगी।

ये पुस्तकें आईसेक्ट, परियोजना दल, न्याय विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार और यू. एन.डी.पी. का एक मिलाजुला प्रयास है। मैं इन सभी लोगों के साथ लेखकगणों को धन्यवाद ज्ञापित करती हूं जिनके महत्वपूर्ण प्रयासों से ही ये पुस्तकें तैयार हो सकी हैं, जो निश्चित ही देश के कमजोर एवं वंचित वर्गों को शिक्षित एवं सशक्त बनानें मे मददगार साबित होंगी।

नीला गंगाधरन, आई.ए.एस.,
सचिव,
न्याय विभाग,
विधि एवं न्याय मंत्रालय,
भारत सरकार

नई दिल्ली
07 अक्टूबर, 2011

Empowered lives.
Resilient nations.

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम,
(यू एन डी पी)

प्राक्कथन

नागरिकों के मूलभूत मानवाधिकारों को सुनिश्चित करने की दिशा मे भारत सरकार ने 'न्याय तक पहुंच' की दिशा मे सुधार को अपने सबसे महत्वपूर्ण कायक्रमों मे शामिल किया है। विभिन्न मानवाधिकार - जैसे नागरिक, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, परस्पर जुड़ें हैं और एक दूसरे को मजबूती प्रदान करते हैं। एक उत्कृष्ट जीवन स्तर, सम्पूर्ण पोषण, स्वास्थ्य चेतना और अन्य आर्थिक उपलब्धियां ही विकास के संपूर्ण लक्ष्य नहीं हैं, ये मानवाधिकार हैं - जो मानव स्वतंत्रता और गरिमा में निहित हैं। इन अधिकारों की प्राप्ति वास्तव में जिन राजनैतिक और सामाजिक व्यवस्थाओं पर निर्भर हैं वे है - धारणायें, संस्थाएं, कानून और एक सकारात्मक आर्थिक परिवेश। हमें अभाव मे जीने वाले लोगो की आवश्यकताओ की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए इन व्यवस्थाओं को केन्द्र मे रखने की जरूरत है।

भारत का संविधान देश के सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता, एवं सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय का संरक्षण करता है। इन संवैधानिक अधिकारों के अतिरिक्त, पिछले कुछ वर्षो में भारत सरकार ने उपेक्षित लोगों के लिए सरकार समर्थित अनुदानों को सुनिश्चित करने के लिए विशेष बल दिया है और इसके लिए विभिन्न ऐतिहासिक कानूनों का निर्माण किया गया है। इन कानूनों का निर्माण 'अधिकार आधारित अवधारणा' के आधार पर किया गया है जो अत्यंत प्रगतिशील एवं सराहनीय है। सूचना का अधिकार पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में एक उत्कृष्ट उदाहरण है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून हाशिये पर जीने वाले लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। शिक्षा का अधिकार कानून और भोजन के अधिकार की दिशा मे कार्य, कुछ अन्य महत्वपूर्ण पहल हैं। एक साथ ये सभी कानून समाज के सबसे उपेक्षित वर्गो के, जो विकास के लाभ से वंचित रह गए हैं, मूलभूत मानव स्वतंत्रता की वकालत करते हैं।

प्रगतिशील कानूनों के बावजूद, अति उपेक्षित और हाशिये पर जीने वाले लोग, विशेषकर महिलाएं, कानून द्वारा संरक्षित अपने जायज हकों को प्राप्त नहीं कर पाती हैं। यह अनुमान है कि भारत के लगभग 70 प्रतिशत लोग या तो संविधान में दिये गये अधिकारों के प्रति जागरुक नहीं हैं, या उनके पास औपचारिक संस्थाओं के माध्यम से न्याय प्राप्त करने के संसाधन ही नहीं हैं। औपचारिक न्यायिक संस्थाओं की प्रकृति और संरचना के कारण

दलित, अनुसूचित जनजातियां, महिलाएं और दूरस्थ अंचलों में रहने वाले लोग अपने अधिकारों और सरकार समर्थित अनुदानों तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। राज्य तंत्र की उपेक्षित वर्गो तक पहुचने की असमर्थता एवं शिक्षा का अभाव, लोंगों की दशा के कारणों मे प्रमुख हैं। ये पुस्तकें लोगों की कानून की आधारभूत जानकारी, अधिकारों, सरकार समर्थित अनुदानों के प्रति जागरूकता को बढ़ाने मे और न्याय तक पहुंच की प्रक्रिया को समझने मे सहायक सिद्ध होंगी।

यू.एन.डी.पी., ने न्याय विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार की सहभागिता में ''उपेक्षित वर्गों के लिए न्याय तक पहुंच परियोजना'' के तहत व्यापक स्तर पर कई पहल की हैं। जिनमे राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरों पर विधिक सेवा प्राधिकरणों का एवं स्थानीय स्तर पर स्वैच्छिक संगठनों का बिहार, छत्तीसगढ, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश मे कानूनी जागरूकता, कानूनी सशक्तिकरण और कानूनी सहायता के लिये कार्य प्रमुख है। ये पुस्तकें, उक्त पहल का एक परिणाम हैं, जिसके अर्न्तगत आदर्श पाठ्यक्रम, एवं जानकारी, शिक्षा और संप्रेषण सामग्री (IEC Material) की श्रंखला के माध्यम से उपेक्षित लोगों की कानूनी जागरूकता स्थापित करते हुए, न्याय तक पहुंच बढाने का एक प्रयास है।

इन पुस्तकों का विशिष्ट पहलू यह है कि, ये लैंगिक संवेदना, आवश्यकता पर आधारित और विचार-विमर्श प्रक्रियाओं से तैयार की गई हैं। इन पुस्तकों में दी गई सूचनाएं और जानकारियां कानूनी साक्षरता पाठ्यक्रम के रूप में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग (DSE&L), मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रौढ़ शिक्षा के लिए चलाये जा रहे ''साक्षर भारत'' कार्यक्रम का एक हिस्सा हैं, जो देश के सभी राज्यों मे चलाया जा रहा है। ये पुस्तकें, मंत्रालयों और विभागों के परस्पर सामंजस्य का एक बेहतरीन उदाहरण हैं, आशा है इन पुस्तकों की व्यापक पहुंच संभव हो पाएगी और इनके ठोस परिणाम प्राप्त हों सकेंगे। आईसेक्ट (All India Society for Electronics and Computer Technology (AISECT)) ने इन पुस्तकों के अलावा एक फिल्म और प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण की मार्गदर्शिका भी तैयार की हैं।

निश्चित रुप से न्याय तक पहुंच के लिए कानूनी जागरूकता मे वृद्धि अनिवार्य है, इस संदर्भ में इन पुस्तकों की दीर्घकालिक उपयोगिता है। महिलाओं और पुरूषों को सशक्त बनाने और उनकी कानून तक पहुंच सुनिश्चित करने एवं सरकार समर्थित अनुदानों की प्राप्ति की दिशा मे ये पुस्तकें बहुत लाभकारी साबित होंगी। पुस्तकों में दी गई जानकारियां न सिर्फ ''साक्षर भारत'' कार्यक्रम के लिए उपयोगी होंगी बल्कि राष्ट्रीय, राज्य सरकारों और स्वैच्छिक संगठनों द्वारा संचालित समान कार्यक्रमो के लिए भी सहायक साबित होंगी।

केटलिन वीसेन
देश निदेशक
यू एन डी पी-भारत

पैट्रिस कुअर बिजो
संयुक्त राष्ट्र रेजीडेंट कोआर्डीनेटर तथा
यू एन डी पी के रेजीडेंट रिप्रेजेंटेटिव, भारत

आभार

प्रौढ़ शिक्षा के साथ-साथ कानूनी साक्षरता एवं कानूनी जागरूकता पर केन्द्रित इन पुस्तकों के निर्माण में हम उन सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने अपना रचनात्मक योगदान इस कार्य में दिया है। बारह पुस्तकों की इस श्रृंखला के निमार्ण का उद्देश्य यही है कि उपेक्षित लोगों को उनके अधिकारों की जानकारी देकर सशक्त बनाया जा सके ताकि रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी परेशानियों से उन्हें मुक्ति मिल सके। यह संयुक्त प्रयास निश्चित ही न्याय तक पहुंच बनाने में प्रौढ़ों और युवाओं के लिए सहायक साबित होगा। रोजमर्रा के कार्यों और दैनिक जीवन से जुड़े विभिन्न कानूनी मुद्दों और उनसे जुड़ी प्रक्रियाओं को इन पुस्तकों में अत्यंत सरल तरीके से समझाने की कोशिश की गयी है। कानूनी विषयों की आधारभूत जानकारी और कानूनी प्रक्रिया के मार्गदर्शन में यह श्रृंखला महत्वपूर्ण भूमिका निभाऐंगी, ऐसा हमारा विश्वास है।

हम न्याय विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार एवं यू.एन.डी.पी. के बहुत आभारी हैं जिन्होंने इस परियोजना के क्रियान्वयन में हमें हर संभव योगदान दिया। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग (DSE&L), मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय का हम आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने ''साक्षर भारत'' कार्यक्रम में कानूनी साक्षरता को शामिल करने हेतु अपनी स्वीकृति प्रदान की। हम श्रीमती नीला गंगाधरन, सचिव, न्याय विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार के अमूल्य मार्गदर्शन एवं योगदान के लिये विशेष आभारी हैं। उनके सहयोग से ही हम इस कार्य को करने में सफल हो सके हैं। श्रीमती अंशु वैश, सचिव, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग (DSE&L) और श्री जे. एस. राजू, संयुक्त सचिव एवं महानिदेशक, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग (DSE&L) को विशेष धन्यवाद ज्ञापित करते हैं जिन्होंने यथासंभव सहयोग देकर इस परियोजना को सफल बनाने में मदद की है।

हम यू.एन.डी.पी. टीम, सुश्री सुमिता बनर्जी और सुश्री कान्ता सिंह से मिले सहयोग के अत्यंत आभारी है। ''उपेक्षित वर्गों के लिए न्याय तक पहुंच परियोजना'' टीम की परियोजना प्रबंधक सुश्री स्वाति मेहता और परियोजना अधिकारी श्री आशुतोष श्रीवास्तव से मिले सतत सहयोग और प्रोत्साहन के लिए हम बहुत-बहुत आभारी हैं।

इस पुस्तक को तैयार करने में हम उन सभी विषय विशेषज्ञ श्री सौम्या भौमिक, लेखकों, सलाहकारों और ''उपेक्षित वर्गों के लिए न्याय तक पहुंच परियोजना'' के सात राज्यों में स्थित राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों एवं राज्य संसाधन केन्द्रों के सहयोग के भी आभारी हैं जिन्होंने इन्हें विकसित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

आईसेक्ट के महानिदेशक एवं राज्य संसाधन केन्द्र, भोपाल के अध्यक्ष श्री संतोष चौबे ने इस परियोजना के वास्तविक क्रियान्वयन में हर संभव मार्गनिर्देशन प्रदान किया जिसके लिये हम उनके आभारी हैं। आईसेक्ट की परियोजना संचालक सुश्री शिल्पी वार्ष्णेय, लेखन एवं संपादन हेतु श्री संतोष कौशिक एवं श्री संजय सिंह राठौर, मुद्रण एवं आकल्पन के लिये श्री विवेक बापट, श्री मुकेश सेन एवं सुश्री वंदना श्रीवास्तव ने इस परियोजना में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

हम आभारी हैं, इस पुस्तिका के मूल लेखकों संतोष कौशिक, संजय सिंह राठौर एवं डॉ. विश्वास चौहान के तथा चित्रांकन के लिये ब्रज पाटिल के, जिन्होंने अपना योगदान इसे विकसित करने में दिया है।

आईसेक्ट, भोपाल

अपनी बात .....

साक्षरता के आधार पर एक सुदृढ़ एवं विकसित समाज आकार लेता है। कानूनों की आधी-अधूरी जानकारी अक्सर बड़ी उलझन में डाल देती है। कानूनों की सही जानकारी ही हमें अपने कर्तव्य और अधिकारों के प्रति सचेत करती है। कानूनी साक्षरता के अभाव में निरक्षर ही नहीं पढ़े-लिखे लोग भी अक्सर ठगे जाते हैं।

विधि एवं न्याय मंत्रालय, (न्याय विभाग) भारत सरकार तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, भारत (यू एन डी पी) की मदद से आईसेक्ट का प्रयास है कि रोजमर्रा के कार्यों और जीवन से जुड़े बहुत से महत्वपूर्ण कानूनों की जानकारियां सरल भाषा में पुस्तकों के माध्यम से आप तक पहुंच सकें। इस उद्देश्य को पूरा के लिये इस पुस्तक में हमारे कानून, संविधान, मौलिक अधिकारों एवं हमारे विशेष अधिकारों के लिये गठित विभिन्न आयोगों से संबंधित सभी जरुरी कानूनों को संकलित कर आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं।

हमारा विश्वास है कि हमारे प्रकाशन आप तक पहुंचकर अपने उद्देश्यों में सफल हो सकेंगे।

संतोष चौबे
महानिदेशक, आईसेक्ट
एवं अध्यक्ष, राज्य संसाधन केन्द्र, भोपाल

अनुक्रम

1.	कहानी - चिड़िया चुग गई खेत	1
2.	कानून क्या है?	6
3.	भारत का संविधान	11
4.	विधायिका, कार्यपालिका, न्याय पालिका	13
5.	हमारे मौलिक अधिकार	16
6.	हमारे राजनैतिक अधिकार	22
7.	हमारे विशेष अधिकार हेतु गठित आयोग	26

1. कहानी – चिड़िया चुग गई खेत

विधायक दीनानाथ टी.वी. पर नजरें गड़ाये अकेले बैठे थे। परिवार के लोगों को भी अन्दर आने को मना कर दिया था।

आठ बजे। समाचार शुरू हुए। वो सिर्फ अपने समाचार के आने की प्रतीक्षा में थे।

आख़िर समाचार आया-

"आज विधानसभा में धीरजपुर के विधायक दीनानाथ द्वारा किये गये कथित भ्रष्टाचार की गूंज सुनाई दी। विपक्ष ने यह मुद्दा जोर-शोर से उठाया। शोर-शराबा तब रूका जब मुख्यमंत्री ने जांच समिति गठित करने का आश्वासन देते हुए कहा कि उन्हें जांच पूरी होने तक सभी महत्वपूर्ण पदों से दूर रखा जायेगा।

दीनानाथ ने टी.वी. बंद कर दिया। एक लम्बी सांस लेते हुए पास में रखा एक गिलास पानी पिया।

तभी कमरे में विधायक की पत्नी शकुंतला ने बोलते हुए प्रवेश किया "अब समझ में आया अकेले क्यूं बैठे हो? बगलवाले कमरे में पूरा परिवार भी तो टी.वी. देख रहा है।"

दीनानाथ कुछ न बोले।

शकुंतला बड़ी बेचैन दिख रही थी। पास बैठते हुए वो बोली- "यह अच्छा नहीं हुआ। क्षेत्र के लोग तो पहले ही नाराज बैठे हैं। मंत्रीमंडल में छवि खराब हुई सो अलग।"

दीनानाथ चुप्पी तोड़ते हुए बोले- "चलो अब कुछ दिन के लिए गांव चलते हैं।"

''गांव में तीन साल में तीन ही बार गये हो- कैसे सामना करोगे सबका?''

''अब चुनाव में एक साल बचा है। आखिर लौटकर गांव तो जाना पड़ेगा ही। अपना घर है, परिवार है, खेत हैं, अपना दाना-पानी है।''

शकुंतला से रहा न गया उसने बोल ही दिया- ''ये क्यों भूल जाते हो कि लोगों ने तुम्हें चुनकर भेजा था। ताकि उनके दुखों-सुखों की लड़ाई लड़ सको। उनकी जरूरतों का ध्यान रखो। उनकी आवाज विधानसभा तक पहुंचाओ। अब क्या जवाब दोगे उन्हें?''

''गांव वाले तो बाद में पूछेंगे। पहले तू मेरे प्राण लेले'' दीनानाथ तिलमिलाते हुए बोले। ''अब ठीक है जैसा भी होगा। सामना करेंगे।''

दीनानाथ के भ्रष्टाचार की खबर फौरन उनके विधानसभा क्षेत्र में फैल गयी।

जगह-जगह लोग मिल बैठकर उन्हीं की चर्चा करते थे।

पिछले दस दिनों से जगह-जगह क्षेत्र के हर टोले में बहसों का दौर तेज था। लेकिन इमलीपुर गांव की चौपाल पर बैठे लोगों की बेचैनी कुछ ज्यादा ही थी क्योंकि वह दीनानाथ का अपना गांव था। लोग तेज-तेज आवाज में बातें कर रहे थे। वार्तालाप कुछ इस तरह के थे-

''दीनानाथ ने तो पूरे गांव की नाक कटवा दी।''

''चुनकर तो आपने ही भेजा था।''

''क्या करें? दही के धोखे में कपास खा गये।''

''विधायक निधि (फंड) से दो रुपये का काम भी क्षेत्र में नहीं कराया।''

''जो थोड़ा बहुत काम हुआ भी है तो पंचायत से हुआ है।''

''भैया अपना पेट भरने से फुरसत मिले तब ना?''

''हमें तो पहले ही शक था। हमने तो उसे वोट भी नहीं दिया था।''

''मंत्री बनते ही गांव का रास्ता ही भूल गये। चार साल में चार बार ही गांव आये हैं।''

दीनानाथ को वोट देने वाले अपने निर्णय को कोस रहे थे। जिन्होंने वोट नहीं दिया वे हंसी उड़ा रहे थे। चौपाल पर एक जोरदार बहस छिड़ी हुई थी।

तभी गांव में एक टाटा सूमो गाड़ी आयी। सभी लोग उत्सुकतावश गाड़ी की तरफ देखने लगे। गाड़ी का दरवाजा खुलते ही दीनानाथ अपने परिवार सहित उतरे। सब लोग खड़े हो गये। सबने विधायक को नमस्कार किया। लोगों के व्यवहार में बदलाव साफ दिखलाई दे रहा था। पहले की तरह गांव के लोग दौड़कर गाड़ी की तरफ नहीं आये। कुछ लोगों ने आगे बढ़कर सामान उठाकर दीनानाथ के घर तक पहुंचा दिया।

दो-चार दिनों में ही दीनानाथ समझ गया कि अब हवा का रूख बदल गया है।

दीनानाथ के हालात कठिन हो रहे थे। लोगों में नाराजगी और दिलों की दूरियां बढ़ने लगी।

लोगों के गुस्से का अन्दाजा तब हुआ जब दीनानाथ को गांव से गेहूं काटने के लिए मजदूर भी नहीं मिले। गेहूं काटने की मशीन बुलाकर गेहूं कटवाये गये।

दीनानाथ को और गहरा झटका तब लगा जब उनकी बड़ी लड़की का होने वाला रिश्ता टूट गया। लड़के के पिता ने साफ कह दिया ''हमें नहीं बनना एक भ्रष्ट नेता का समधी।'' दीनानाथ की सारी बिसात पलट गयी थी क्योंकि हालात अब पूरी तरह बदल गये थे।

आठ महीने बाद चुनाव आने वाले थे। लोगों में कानाफूसी होने लगी थी।

इमलीपुर के मिडिल स्कूल के मास्टर ताराचंद को पूरा गांव चाहता था। गांव में होने वाली हर बैठक में मास्टर जी ही चर्चा का बिंदु बने रहते थे। लोग उनका कहना भी मानते थे।

दीनानाथ ने फिर से एक दांव खेलने की कोशिश की। मास्टर ताराचंद को घर से बुलाया। बड़े सम्मान सहित चायपानी की व्यवस्था की और बातचीत करते-करते धीरे-धीरे मुद्दे की बात पर आ गये।

''क्यों मास्टर जी- क्या रूख है गांव का'' दीनानाथ ने पूछा।

''सब नाक तक भरे बैठे हैं'' ताराचंद बोले।

''क्यों?'' अगर भ्रष्टाचार का झूठा आरोप लगाकर मुझे फंसा दिया गया है तो उसकी सजा तो मैं ही भुगतूंगा। गांव वाले मुझसे क्यूं नाराज हैं?

''गांव वालों का कहना है आपने मंत्री बनने के बाद उनकी कोई मदद नहीं की। गांव के मिडिल स्कूल को इंटर तक कराने का वादा, गांव को शहर से पक्की सड़क से जोड़ना, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कुछ भी पूरा नहीं किया। कहां तक गिनवाऊँ विधायक जी। आप चाहो तो लोगों से खुद बात कर लो।''

दीनानाथ तिलमिला गये। विधायक होने की मरोड़ अभी गयी नहीं थी।

बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला। मास्टर जी उठ कर चले गये।

दीनानाथ के विधानसभा क्षेत्र में नये उम्मीदवारों में मास्टर ताराचंद का भी नाम था।

एक दिन पास के गांव से बुलावा आया। वहां चार पंचायतों के लोग मिलकर मास्टर ताराचंद को टिकिट दिलवाने के लिए बैठक कर रहे थे।

ताराचंद निहायत ईमानदार और नेक इंसान था।

बैठक शुरू हुई तो सबने ताराचंद को अगले चुनाव में खड़ा करने की बात कही। लेकिन ताराचंद ने हाथ खड़े कर दिये।

ताराचंद ने बड़ी नम्रता से बोलना शुरू किया- ''भाईयो, मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूं। लेकिन इस महासंग्राम में मैं नहीं कूदना चाहता। मुझे जो कुछ अपने लोगों के लिए करना है वो मैं बगैर चुनाव लड़े भी कर सकता हूं। आज मैं एक खास बात आपसे साझा करना चाहता हूं। वो यह कि हमारे हाथ में सबसे बड़ा हथियार है। हमारे इस वोट से ही सरकार चुनी जाती है।

हम मिलकर एक ऐसा उम्मीदवार चुनें जो हमारे हकों की लड़ाई लड़े। अपने गांव की भलाई और विकास के लिए काम करे। हमारे पुराने अनुभव बहुत अच्छे नहीं रहे। मैं नाम लेना नहीं चाहता। लोगों की अपेक्षाओं को जिस तरह धूल में मिलाया गया। वो गलत है।''

इस बैठक में इक्का-दुक्का लोग दीनानाथ के भी बैठे थे। उनमें से एक बोला- ''दूसरों पर कीचड़ उछाल रहे हो- आप चुनाव में खड़े होने से क्यों डर रहे हो?''

''मैं डर नहीं रहा हूं- मेरी कोई इच्छा भी नहीं है लाल बत्ती की गाड़ी में घूमने की। मेरी दिली इच्छा ये है कि मैं अपने गांव में ही रहकर अपनी पंचायत को मजबूत बनाऊं। भैया हम हाइवे वाले नहीं हैं, हम तो पगडंडी वाले हैं। बस मेरा तो यही कहना है कि किसी लोभ लालच के बगैर अपना शत प्रतिशत वोट डालें। अपने वोट की कीमत समझें। आप एक वोट की ताकत पहचानें।'' इतना कहकर ताराचंद बैठ गये।

धीरजपुर क्षेत्र आज भी अपनी बदहाली के दूर होने की बाट जोह रहा है। कितनी टोपियां बदलीं। कितने नेता बदले। कितनी कुर्सियां बदलीं। कितनी कुर्सियां उलटीं। धीरजपुर की पगडंडियों पर न जाने कितने पैरों के निशान हैं। लेकिन वे आज भी इन्तजार में हैं एक ऐसे जननायक की जिसकी आंखों में आदमी की बेहतरी का सपना हो, धीरजपुर के विकास का सपना हो।

ये तो एक छोटी सी कहानी थी जो हमें अपने राजनैतिक अधिकारों के प्रति सचेत करती है। देश के हर नागरिक को वोट डालने का अधिकार तो है ही वो अगर चाहे तो स्वयं भी चुनाव लड़ सकता है। चुनाव में वोट डालकर पांच साल तक अपने जनप्रतिनिधियों का ही मुंह ताकने से बात नहीं बनती। जरूरी है हम भी अपने अधिकारों को जानें, कानूनों को जानें, अपने संविधान को जानें, अपनी न्यायपालिका को जानें।

आइये अपने कानूनों की महत्वपूर्ण जानकारियों को समझा जाये।

2. कानून क्या है?

कानून हम लोगों द्वारा ही बोये गये लोकतंत्र के बीजों से उगे हुए पेड़ हैं। जिनकी डालियां कर्तव्य हैं। जिनके पत्ते अधिकार हैं। जिन पर उपचारों एवं सुविधाओं के फल लगे हैं। जिनकी छाया संरक्षण और समानता है। जिन्हें काटने पर सजा एवं दंड मिलता है। अतः इनकी जानकारी आवश्यक है। संविधान एक पेड़ की जड़ की तरह है, और कानून उस पेड़ की शाखाओं की तरह है।

कानून क्या है और हमें कानून जानना क्यों जरूरी है?

- हम सब बातचीत में वकील, कोर्ट, कचहरी, तहसील, ऑफिस, विभाग, प्रमाण पत्र, पंजीयन, अधिकार, सरकार, मंत्री, विधायक, पंचायत, सरपंच, सचिव, आंगनबाड़ी, रोजगार गारंटी, गरीबी रेखा का कार्ड जैसे शब्द रोजाना बोलते हैं, सुनते हैं या पढ़ते हैं। इन सबका काम जिस नियम, हुकुम या आदेश से चलता है उन्हें 'कानून' कहते हैं।
- कानून के सामने देश का प्रत्येक नागरिक बराबर होता है। कोई कानून से ऊपर नहीं होता और कानून सबकी समान रूप से रक्षा करता है।
- हमारी दिनचर्या से जुड़े सभी काम किसी नियम या "कानून" के आधार पर ही चलते हैं। यदि हमें कानून की जानकारी है तो कोई हमें बिना वजह परेशान नहीं कर सकता और हमारे जो भी हक हैं उन्हें कोई छीन भी नहीं पायेगा।

कानून कौन बनाते हैं और कैसे बनते हैं

- विधायक और सांसद को आप चुनते हैं।
- विधायक विधानसभा में अपने प्रदेश के कानून बनाते हैं। सांसद दिल्ली की संसद में जाकर पूरे देश के लिए कानून बनाते हैं।
- ये कानून देश की आजादी के बाद पिछले लगभग 65 वर्षों से बनते आ रहे हैं।
- सबसे बड़ा कानून हमारा भारतीय संविधान है।

कानून दो प्रकार के होते हैं :

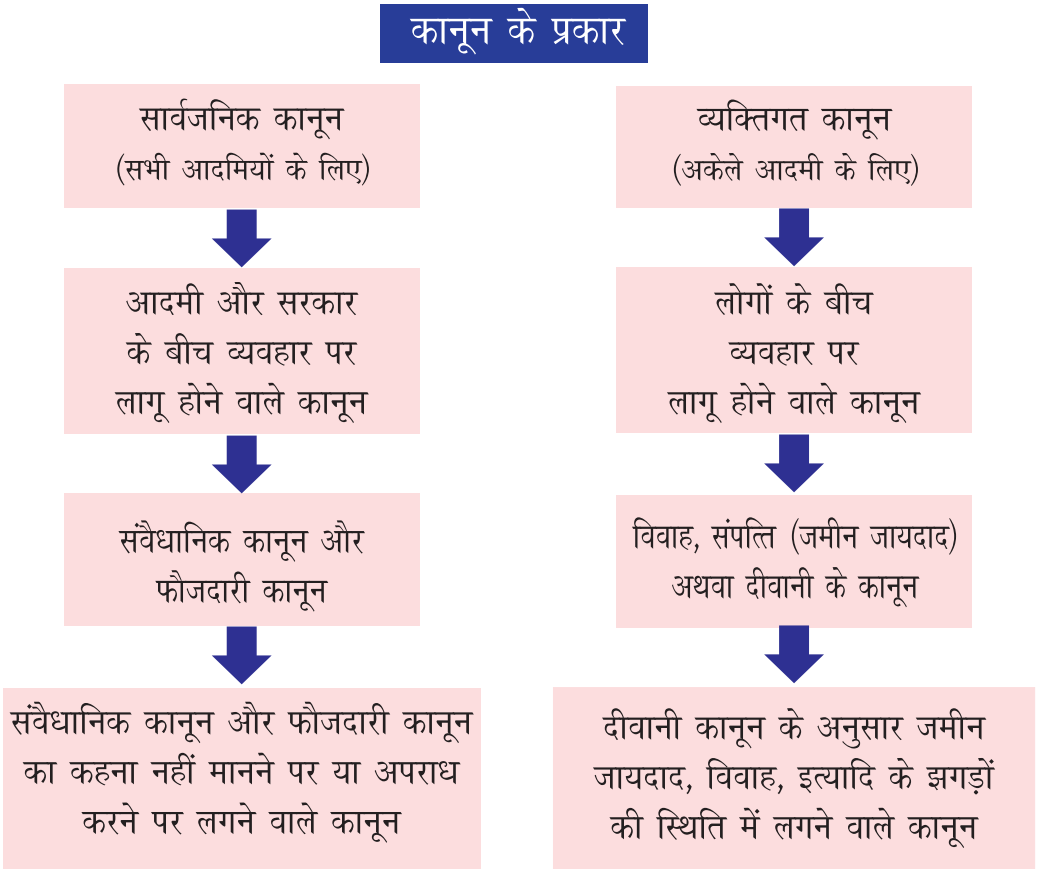

संस्कृति और शिक्षा का अधिकार

- मद्रास राज्य के इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में प्रवेश करने के लिए हर समुदाय के लोगों के लिए निश्चित प्रतिशत तय कर दिया गया। एक ब्राह्मण छात्र को उसकी जाति के आधार पर कॉलेज में प्रवेश देने से इनकार कर दिया।
- इसे साम्प्रदायिक आदेश मानते हुए इसके बारे में सर्वोच्च न्यायालय में मामला दायर हुआ। इस मामले में यह कहा गया कि धर्म और जाति के आधार पर लोगों को कॉलेजों में प्रवेश कराने का कोई अधिकार नहीं है और कॉलेज का ऐसा करना संस्कृति और शिक्षा के अधिकार का उल्लंधन है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस तरह की व्यवस्था को गैर संवैधानिक माना और कॉलेजों की जाति के आधार पर प्रवेश देने की नीति को खारिज कर दिया।

कानून की दृष्टि में समानता

- रमेश एक दैनिक वेतनभोगी है जो एक झुग्गी बस्ती में रहता है। कमलेश एक आलीशान कॉलोनी में रहता है और एक अच्छी कम्पनी में काम करता है। एक दिन रमेश का झगड़ा अपने एक दोस्त से हो गया। जिसमें उसका दोस्त बुरी तरह घायल हो गया। कमलेश का भी झगड़ा अपने दोस्त से हो गया। उसने भी अपने दोस्त को बुरी तरह घायल कर दिया। कानून के अनुसार रमेश को गरीब होने और कमलेश को धनवान होने के आधार पर छोड़ नहीं दिया जायेगा।
- कानून की नजर में रमेश ओर कमलेश दोनों बराबर हैं। अपराध साबित होने पर दोनों को दंड दिया जायेगा।

कानून द्वारा समान सुरक्षा

- इस अधिकार का मतलब है कि सरकार द्वारा लोगों के खिलाफ भेदभाव नहीं किया जायेगा। कोई हमारे बीच धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर अन्तर या भेदभाव नहीं कर सकता। किसी विशेष धर्म या जाति आदि का होने के आधार पर किसी के साथ पक्षपात नहीं किया जा सकता ।

  रामलाल तीन पीढ़ियों से जूते बनाने का काम करता आ रहा है इसलिए उसका नाम अनुसूचित जाति की सूची में है। रामलाल का परिवार समाज के साथ नहीं चल सका और पिछड़ गया। इसी पिछड़ने के कारण अब सरकार ने रामलाल जैसे अनुसूचित जाति के परिवारों को समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलाने के लिए विशेष सुविधायें दी गई हैं जिसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति के परिवारों को नौकरियों में आरक्षण देना भी शामिल है। इसके अलावा उनके जीवनयापन के लिए भी सरकार कई तरह से मदद भी करती है। इस तरह समाज के कमजोर लोगों की मदद करना पक्षपात नहीं है बल्कि इसे हमारे संविधान के अनुसार सभी के साथ समान व्यवहार करना ही कहा जायेगा।

अवसर की समानता

- रमाशंकर नगर निगम के स्कूल में अध्यापक था। जब उसे सरकारी नौकरी मिली तो उसे एक आदेश दिया गया था कि वह अपने ''पिछले जीवन और डॉक्टरी जांच'' का सत्यापन प्रस्तुत करे। रमाशंकर को 1974 में नौकरी से निकाल दिया गया था। नौकरी

से उसे पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर निकाला गया। रिपोर्ट में कहा गया था कि रमाशंकर सरकारी नौकरी के योग्य नहीं था क्योंकि पूर्व में वह किसी राजनैतिक संगठन में काम करते हुए राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेता रहा था।

- जन सेवाओं के लिए राजनैतिक गतिविधियों और दबाव की मदद से सरकारी नौकरी प्राप्त करना अवसर की समानता के अधिकारों का उल्लंघन है जिसमें अनुच्छेद 14 और 16 द्वारा निर्देशित मौलिक अधिकारों का हनन है। फौजदारी कानून सभी धर्मों के लिए एक जैसे होते हैं जबकि दीवानी कानून में विवाह, उत्तराधिकार (विरासत), तलाक के कानून, हिन्दू, मुसलमान एवं ईसाई के लिए अलग-अलग होते हैं।

निःशुल्क कानूनी सहायता

गरीब, असहाय या पीड़ित होने के कारण कोर्ट/कचहरी के खर्चे जैसे : कोर्ट फीस, तलवाना, टाइपिंग खर्च, गवाह खर्च, नकल प्राप्त करने का खर्च, अंग्रेज़ी से हिन्दी में अनुवाद करने का खर्च कोर्ट के आदेश या अन्य कागज़ों की प्रतिलिपि (फोटोकॉपी) का खर्च यदि कोई नहीं उठा सकता तो यहां विधिक सेवा प्राधिकरण (L.S.A.) हमारी निःशुल्क मदद करता है।

विधिक सेवा प्राधिकरण के अनुसार यदि कोई व्यक्ति

- अनुसूचित जाति (हरिजन) या अनुसूचित जनजाति (आदिवासी) समाज से है।
- लोगों के दुर्व्यवहार से पीड़ित है और इससे बिना मजदूरी के काम कराया जा रहा है।
- महिला या बालक है।

- मानसिक रूप से अस्वस्थ है या अयोग्य है। जैसे -
  - अंधा है या नजर कमजोर है, कुष्ठ रोगी, कम सुनाई देता है, चल फिर नहीं सकता या दिमागी तौर पर बीमार है।
  - जातीय हिंसा या अत्याचार से सताया हुआ या भूकंप, बाढ़, सूखा आदि से पीड़ित।
  - फ़ैक्ट्री या कंपनी में मजदूर है अथवा जेल में बंद है।
- सालाना आमदनी ₹ 50000 से ज्यादा नहीं है तो कोर्ट कचहरी का सारा भार सरकार उठायेगी और निःशुल्क वकील उपलब्ध करायेगी।
- यह निःशुल्क कानूनी सहायता तहसीलदार, एसडीओ, कलेक्टर, कमिश्नर, तहसील अदालत, जिला अदालत, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से मिलती है।
- जहां तक हो सके आपसी बातचीत से ही विवाद का हल ढूंढना चाहिए।
- लोक अदालत के माध्यम से भी अपने हितों का ध्यान रखकर आपसी समझौते से मुक़दमा समाप्त किया जा सकता है।

3. भारत का संविधान

- 15 अगस्त 1947 के पहले देश के लोगों ने चुनाव करके एक समिति बनाई जिसे संविधान सभा कहा गया। संविधान सभा ने 26 जनवरी 1949 को देश का संविधान तैयार किया जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया।
- संविधान देश का सबसे बड़ा कानून है। बाकी सभी कानून इसी के आधार पर बनते हैं।

संविधान में सभी लोगों के मौलिक अधिकारों की बात कही गयी है संविधान को सारी शक्ति इस देश की जनता से मिली है।

संविधान की प्रस्तावना

हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिये तथा इसके समस्त नागरिकों को:

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिये तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिये दृढसंकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ई. को एतद् द्वारा अंगीकृत अधिनियम को आत्मार्पित करते हैं।

सरल शब्दों में प्रस्तावना का अर्थ इस प्रकार है -

- भारत के लोग - इसमें हम सभी आते हैं।
- संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न - अर्थात भारत अब किसी का गुलाम नहीं है।
- समाजवादी पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्र गणराज्य- सबको समान अधिकार हैं अर्थात समाजवादी सभी पंथों का आदर जिसमें किसी भी पंथ को विशेष छूट नहीं है। सभी पंथ समान अर्थात धर्म निरपेक्ष जनता का जनता के लिए जनता द्वारा सरकार चलाना शामिल है। यही लोकतंत्र है।
- तीन न्याय - आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक।
- चार स्वतंत्रता - विचार, अभिव्यक्ति, धर्म एवं उपासना।
- दो समानता - प्रतिष्ठा एवं अवसर।
- इन सबसे सभी व्यक्तियों का सम्मान और अपने देश को एक रखने वाला आपसी भाईचारा बढ़ाने के लिए दृढसंकल्प होकर संविधान को स्वीकार एवं लागू करते हैं।
- उक्त समस्त बातें हमारे देश में संविधान की मूल भावना हैं। जिसके अंतर्गत ही हमारे देश में सभी कामकाज होते हैं।
- इन सब बातों का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता।
- उक्त न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता इस देश के सभी लोगों को एक साथ एक समान मिली हुई है इसी के आधार पर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका कार्य करते हैं।

4. विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका

जब हम यह जान गये हैं कि हमारे क़ानून क्या हैं? इनका महत्व क्या है? कानूनों को कौन बनाता है? और पालन नहीं होने पर न्याय किस प्रकार होता है?

- यह कार्य विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका करती हैं। जिसके दो हिस्से हैं-

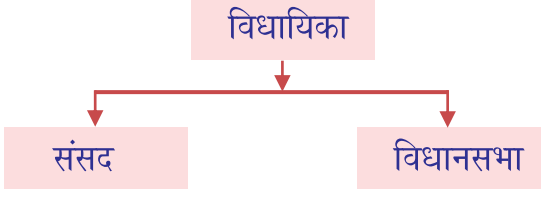

विधायिका

- विधायिका में जिस पार्टी के ज्यादा सांसद या विधायक चुनाव जीत कर आते हैं। उसी के सांसद या विधायक सरकार चलाते हैं। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री उसी पार्टी के ही बनते हैं।
- ये भी लोग विधायिका में माने जाते हैं।
- संसद के तीन अंग होते हैं लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति।

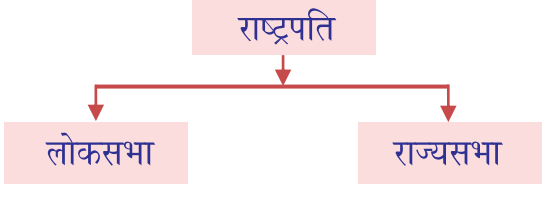

- विधान सभा के अंग होते हैं राज्यपाल एवं विधान सभा, देश के कुछ राज्यों में विधान परिषद का भी प्रयोजन है।

- विधायिका-कानून बनाती है।

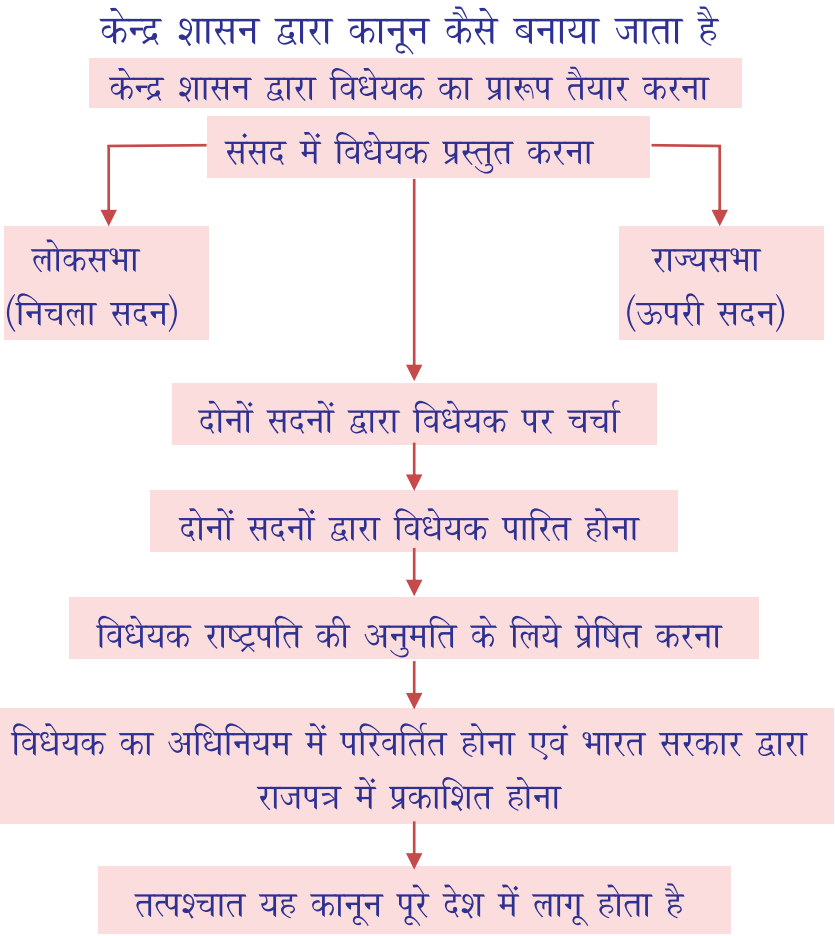

- कार्यपालिका-विधायिका द्वारा बने क़ानूनों को लागू करती है।
- न्यायपालिका-इन पर नजर रखती है। इनमें अधिकारों का उल्लंघन करने पर कार्यवाही करती है।
- कार्यपालिका में विधानसभा या संसद का मंत्रीमंडल शामिल होता है। कमिश्नर, कलेक्टर, एसडीओ, तहसीलदार, पटवारी सभी कार्यपालिका में आते हैं। कार्यपालिका, विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। जनता के हित में संसद में या विधानसभा में विधायक, सांसद, मंत्रीमंडल के सदस्यों से जनता की ओर से प्रश्न पूछते हैं। जिसका जवाब कार्यपालिका को देना पड़ता है।

राज्य शासन द्वारा कानून कैसे बनाया जाता है

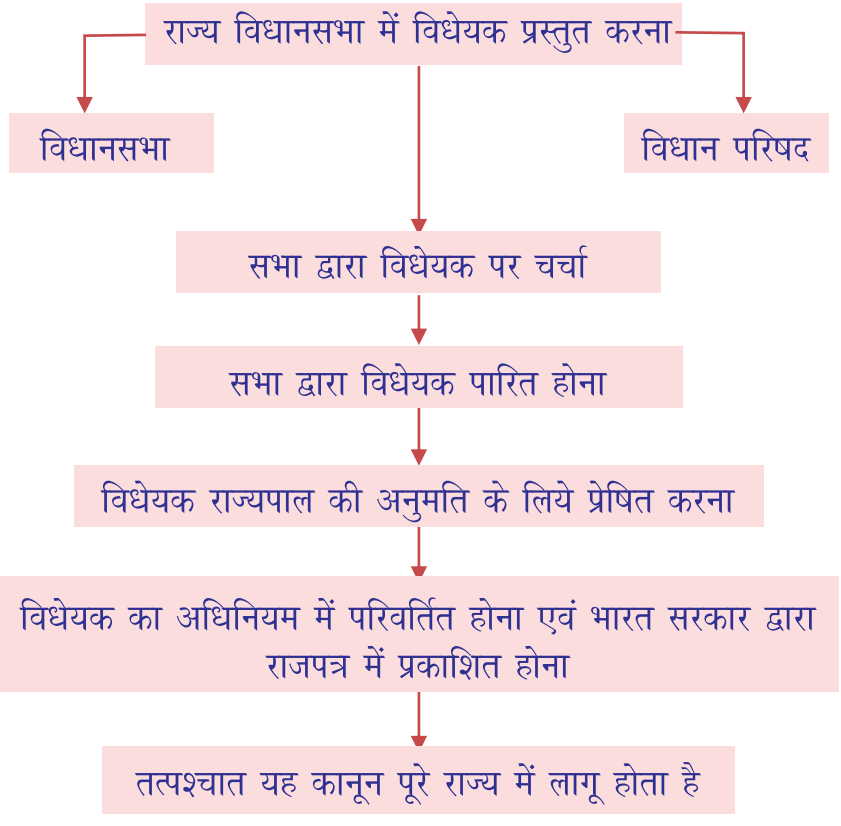

- विधायिका जनता के प्रति जवाबदेह होती है जो जनता के वोट से बनती है।
- विधायिका एवं कार्यपालिका यदि संविधान के अनुसार कार्य नहीं करते तो न्यायालय उन पर लगाम कसती है जिसका फैसला मानना पड़ता है।
- यदि किसी व्यक्ति को विधायिका द्वारा बनाये गये कानून से या कार्यपालिका द्वारा कानून का पालन नहीं करने से कोई तकलीफ हो या पीड़ा हो तो वह न्यायालय में केस करके न्याय पा सकता है।

5. हमारे मौलिक अधिकार

- भारतीय संविधान के अंतर्गत विधायिका कार्यपालिका एवं न्यायपालिका हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए वचनबद्ध हैं।

क्या संसद/विधानसभा कोई भी कानून बना सकते हैं?

- हमें अपने मौलिक अधिकारों को जानना बहुत जरूरी है। इनसे हमारे मान सम्मान की रक्षा होती है।
- मौलिक अधिकारों से व्यक्ति का न केवल शारीरिक एवं मानसिक सुरक्षा एवं विकास होता है बल्कि समाज और राष्ट्र में उसे एक मुकाम भी हासिल होता है।
- मूल अधिकारों के बिना किसी भी व्यक्ति का ठीक से विकास नहीं हो सकता है।
- मूल अधिकार किसी एक व्यक्ति के नहीं हैं बल्कि वे लोकनीति के अनुरूप सारे समाज की सुरक्षा, हित एवं कल्याण के लिए बनाये गये हैं।
- भारत एक लोक-कल्याणकारी देश है और नागरिकों के मूल अधिकारों को संरक्षण प्रदान करना सबसे पहला काम है।
- न्यायालयों का भी यह काम है कि वह सजग प्रहरी के रूप में नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करे।

शोषण के विरूद्ध बाल अधिकार

एम.सी. मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य व अन्य केस में बाल-शोषण के विरूद्ध अधिकारों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक महत्वपूर्ण फैसला आया : 1998 (6) SCC 756

10 दिसम्बर 1996 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित निर्देश दिये गये -

- बाल मजदूरी कराने वाले आरोपी नियोजक को बाल मजदूरी करने वाले बच्चे को मुआवजे के रूप में 20,000 रुपये देने होंगे।
- बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियम) कानून, 1986 के अनुसार नियुक्त किये गये निरीक्षक की देखरेख में यह राशि "बाल मजदूरी पुनर्वास-कम-वेलफेयर फंड" में जमा की जायेगी।
- शासन द्वारा उस परिवार के एक वयस्क सदस्य को नियुक्ति दी जायेगी जिस परिवार का बच्चा एक फैक्ट्री या खदान या खतरनाक कार्य कर रहा है।

- परिवार के सदस्य को नियुक्ति उसी कारखाने में दी जायेगी जिसमें बच्चा काम कर रहा है।
- यदि शासन द्वारा नियुक्ति नहीं दी जाती है तो शासन को रुपये 5000/- प्रति बच्चे के हिसाब से ''बाल मजदूरी पुनर्वास-कम-वेलफेयर फंड'' में जमा कराने होंगे। जहां बच्चों को कारखाने या खदान या किसी अन्य खतरनाक काम में लगाया गया है।
- यह अभिभावक का दायित्व है कि बच्चे को अब उस जगह काम पर न भेजा जाये क्योंकि आय की वैकल्पिक व्यवस्था कर दी गई है।
- उन परिस्थितियों में जब वैकल्पिक नियुक्ति नहीं की जा सकी, संबंधित बच्चे के अभिभावक को उतनी आय की व्यवस्था की जायेगी जितना बच्चा कमा रहा था।
- यदि बच्चे को पढ़ने नहीं भेजा जाता तो नियुक्ति और मिलने वाली धनराशि रोक दी जायेगी।
- बाल मजदूरी कार्य पर रोक लगा देने के बाद यह निरीक्षक का दायित्व है कि वो निगरानी रखे की बच्चा किसी अच्छी संस्था में शिक्षा ग्रहण कर रहा है या नहीं। संविधान के अनुसार शिक्षा ही बच्चे को एक अच्छा नागरिक बनाने में मदद करती है।
- उन कार्यों के संबंध में जो खतरनाक नहीं हैं, निरीक्षक निगरानी रखेगा कि -
  - बच्चे के कामकाज के घंटे 4 या 6 से ज्यादा तो नहीं हो।
  - बच्चा प्रतिदिन दो घंटे शिक्षा प्राप्त कर रहा है।
  - शिक्षा पर आने वाले पूरे खर्च का भुगतान नियोजक द्वारा किया जायेगा।

समानता का अधिकार (अनुच्छेद-14)

- जन्म से कोई व्यक्ति छोटा या बड़ा नहीं होता। कानून के सामने सब बराबर हैं।
- छोटे-बड़े, ऊंच-नीच, सबल-निर्बल, अमीर-गरीब, स्त्री-पुरुष और जाति के भेदभाव का कोई स्थान नहीं है।(अनुच्छेद-15)
- मनुष्य-मनुष्य में अंतर नहीं है, धर्म, मूल, देश, जन्मस्थान जाति, भाषा, लिंग के आधार का भेदभाव नहीं किया जायेगा।
- सभी लोगों को समान रूप से दुकान, सार्वजनिक भोजनालय, मनोरंजन के स्थान, कुएं, तालाब, स्नानघर, सड़क आदि के उपयोग का बराबर अधिकार है।
- सरकारी पदों पर नियुक्ति के लिए सभी को बिना भेदभाव के समान अवसर प्राप्त हैं। (अनुच्छेद-16)

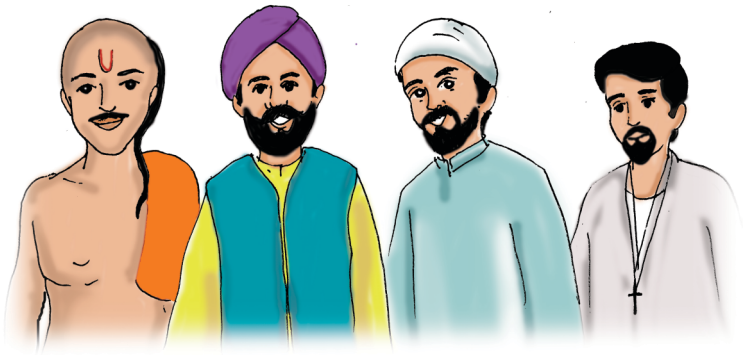

स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद-19)

डॉ. अन्ना एक संस्था के जनरल सेक्रेटरी हैं। एक दिन शासन ने नहर से होने वाली सिंचाई की दरें बढ़ा दीं। डॉ. राम ने इसके विरोध में अभियान शुरू किया। उनका कहना था कि इस बढोतरी से किसानों पर अनावश्यक अतिरिक्त भार पड़ेगा।

प्रश्न : क्या डॉ. राम का इस तरह विरोध करना कानूनी तौर पर न्यायसंगत है?

उत्तर : हां। क्यों कि यह उनका मौलिक अधिकार है।

घटना एक -

रजिया बांग्ला देश से आई। वो अजमेर शरीफ जाने के लिए स्टेशन पहुंची। उसके पास वेटिंग रेल्वे टिकिट था। निश्चित करने के लिए वो टिकिट निरीक्षक के पास गई। टिकिट निरीक्षक ने उनहें महिला प्रतीक्षालय में प्रतीक्षा करने को कहा। वो वहॉ चली गई। दोपहर बाद 3 बजे के आसपास उसके पास अशोक व सतबीर नाम के दो युवक आये उन्होंने रजिया से टिकिट लिया और रिजर्वेशन कन्फर्म कराकर टिकिट उसे लौटा दिया। रात आठ बजे सतवीर एक लड़के काशी के साथ फिर आया और रजिया से पूछा यदि वो खाना खाना चाहे तो पास में रेस्टोरेंट में खा सकती हैं रजिया उनके साथ खाना खाने चली गई। लेकिन खाने के बाद उसे उल्टी हो गई। वो वापस स्टेशन के विश्रामालय में आ गई। कुछ देर बाद अशोक, रफी और पार्सल सुपरवाइजर वहां आये और रजिया को यात्री निवास में जाने की सलाह देने लगे। वेटिंग रूम की महिला अटेंडेंट ने भी रजिया को यात्री निवास में जाने की सलाह दी। रजिया सामान लेकर उन लोगों के साथ यात्री निवास के लिये चल दी। रास्ते में सीताराम और एक बिजली कर्मचारी भी उनके

साथ हो लिये उसे यात्री निवास के कमरे पर ले जाया गया। यह कमरा अशोक के नाम से बुक किया गया था। यहां रजिया को झांसे में लेकर चार लोगों ने रजिया के साथ बलात्कार किया। जैसे-तैसे वो कमरे से भागी और स्टेशन पर पहुंचकर सतवीर से मिली। सतवीर ने झूठी हमदर्दी दिखाते हुए उससे ''तुम घर चलो गाड़ी आने तक मेरे बीवी बच्चों के साथ रहना''। रजिया की ट्रेन अगले दिन थी। वो सतवीर का विश्वास करके उसके साथ चल दी। रास्ते में सतवीर का एक दोस्त समीर भी साथ में हो गया। सतवीर रजिया को अपने एक दोस्त के फ्लेट पर ले गया जहां दोनों ने रजिया के साथ बलात्कार किया। रजिया के शोर मचाने पर मकान मालिक ने पुलिस में खबर कर दी। रजिया को पुलिस अपने साथ ले गयी।

प्रश्न : क्या रजिया इस घटना में मुआवजा पाने की अधिकारी है? जबकि वो भारतीय नागरिक नहीं है?

उत्तर : हां। रजिया विदेशी होने के बावजूद मुआवजा पाने की अधिकारी है। रजिया सामुहिक बलात्कार की शिकार हुई। संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार रजिया के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ।

देश के सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त हैं।

रजिया हालांकि भारतीय नागरिक नहीं थी। वो भारत में एक बांग्लादेशी नागरिक की हैसियत से आयी। लेकिन भारतीय संविधान के अधिकारों के अनुसार रजिया भी ''जीवन के अधिकार'' के अंतर्गत न्याय पाने की अधिकारी है। क्योंकि रजिया के साथ भौतिक हिंसा हुई जिससे उसकी गरिमा पर हमला हुआ। इसीलिए अनुच्छेद 21 के अनुसार रजिया मुआवजा पाने की अधिकारी है।

घटना - दो

राधा एक बेरोजगार स्नातक है। जहां वो रहती है वहां उस बस्ती के पास शासन द्वारा एक मंडी समिति का संचालन किया जाता है। वहां एक जगह खाली थी जिसके लिए राधा ने आवेदन किया और उसे एक क्लर्क के पद पर ₹ 1500 के निश्चित वेतन पर नियुक्ति दे दी गई। जबकि उस पद के लिए वास्तविक वेतन ₹ 2000 निर्धारित था।

प्रश्न : क्या इस तरह का आचरण एक अपराध है?

उत्तर : हां। यह अपराध है। शोषण है। जिसके लिए मंडी समिति दोषी है।

घटना - तीन

पी.डब्ल्यू.डी द्वारा सूखा पीड़ित लोगों की मदद के लिए सड़क निर्माण कार्य चल रहा था। बहुत बड़ी संख्या में लोगों को इस सड़क निर्माण में काम दिया गया। जिसमें श्रमिक महिलाएं भी शामिल थीं।

प्रश्न : अनुच्छेद 23 - इस तरह की परिस्थितियों में किस तरह मदद करता है?

उत्तर : समान परिश्रम के साथ समान वेतन दिया जाना यानि न्यूनतम वेतन दिया जाना न्यायसंगत है। यदि निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम वेतन मिलता है तो श्रमिक अनुच्छेद 23 के अंतर्गत न्यायालय में समान वेतन की मांग कर सकता है।

- स्वतंत्रता का अधिकार जन्म से लेकर मृत्यु तक साथ रहता है।
- बोलने की स्वतंत्रता।
- सभा आयोजित करने की भी स्वतंत्रता है, बशर्ते की कानून एवं शांति भंग न हो।
- देश में कहीं भी आने जाने या रहने की स्वतंत्रता।
- नियम के अनुसार कोई भी धंधा, व्यापार, रोजगार करने की स्वतंत्रता।

जीवन जीने का अधिकार (अनुच्छेद-21)

- सरकार का कर्तव्य है कि वह पुलिस के माध्यम से व्यक्ति के शरीर एवं संपत्ति की रक्षा के लिए शांति एवं व्यवस्था बनाये रखे और जनमानस को कमाई के बेहतर मौके उपलब्ध कराये।
- सम्मान के साथ सभी को जीने का अधिकार है।
- सबको अच्छे वातावरण में रहने एवं रोजी-रोटी कमाने का अधिकार है।
- हमारे प्राण या शरीर की स्वतंत्रता अथवा संपत्ति पर हमला होने पर बचाव के लिये कानूनी सहायता का अधिकार है।

शोषण के विरूद्ध अधिकार

- मानव शरीर का व्यापार, बेगार या जबरदस्ती मजदूरी कराना शोषण कहलाते हैं। ये मानवता के विरूद्ध अपराध हैं। (अनुच्छेद-23)

- मानव व्यापार अर्थात पुरुषों, स्त्रियों एवं बच्चों को खरीदना, बेचना, शोषण की श्रेणी में आता है। (अनुच्छेद-24)
- छुआछूत भी शोषण की श्रेणी में आता है। जिसके विरूद्ध कानूनी अधिकार है। (अनुच्छेद-17)

गिरफ्तारी और विरोध संरक्षण का अधिकार (अनुच्छेद-22)

कानूनी साक्षरता श्रृंखला के माड्यूल 11 "प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार" में इसके बारे में विस्तार से बताया गया है।

- कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए अपराधी की गिरफ्तारी जरूरी हो जाती है।
- दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए गिरफ्तारी होती है।
- गिरफ्तार व्यक्ति के भी कुछ मौलिक अधिकार होते हैं। जो नीचे लिखे अनुसार हैं-
  - गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है।
  - अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार है।
  - गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किये जाने का अधिकार है।

धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28)

- सभी को अपने-अपने धर्म के पालन का अधिकार है।
- कोई भी अपने धर्म के अनुरूप आचरण कर समाज का कल्याण कर सकता है।
- कुरीतियों को बंद करवा सकता है।
- धार्मिक समारोह आयोजित कर सकता है।
- धार्मिक शिक्षा देने, धर्म के अनुरूप आयोजन करने, उत्सव मनाने, धर्म में बताये रास्ते पर चलने का अधिकार है।

- धर्म के अपमान का अधिकार नहीं है।

संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद- 29, 30)

- सभी नागरिकों को अपनी भाषा एवं संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है।
- समाज के सभी वर्गों को शिक्षा ग्रहण करने एवं अपनी सांस्कृतिक परंपरा को कायम रखने का अधिकार है।

संवैधानिक उपचारों का अधिकार

हमारे किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हम क्या कर सकते हैं :

- ऊपर लिखे समस्त अधिकारों की रक्षा का अधिकार भी संविधान में नागरिकों को दिया गया है।
- मूल अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट (अनुच्छेद-32) या हाईकोर्ट(अनुच्छेद-226) जाया जा सकता है।
- लोकहित में मुकदमे भी दायर किये जा सकते हैं।
- यदि अधिकारों के साथ उनके उपचार नहीं होंगे तो ये अधिकार निरर्थक होंगे।

6. हमारे राजनैतिक अधिकार

कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है और वोट डाल सकता है बशर्ते -

- वह पागल नहीं है।
- न्यायालय से पागल घोषित नहीं है।
- दिवालिया यानि कर्ज चुकाने में न्यायालय द्वारा असमर्थ घोषित नहीं है।
- भारत का नागरिक है।
- कानून द्वारा अयोग्य नहीं है।

हमारी न्यायपालिका

हम जानते हैं कि अपने देश में कानून का राज है। कानून के राज में न्यायपालिका का स्थान सबसे ऊंचा होता हैं। न्यायालय या कोर्ट, कानून के अनुसार नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना अपना परम कर्तव्य समझते हैं।

- हमारे देश में न्यायालय होते हैं-

सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट)

उच्च न्यायालय (हाई कोर्ट)

उच्च न्यायालय प्रत्येक राज्य में अलग या सामूहिक भी होते हैं।

उच्च न्यायालय के नीचे दूसरे न्यायालय इस प्रकार हैं

दीवानी न्यायालय	फौजदारी न्यायालय	राजस्व न्यायालय
जिला न्यायाधीश का न्यायालय	दंडाधीशों या सत्र न्यायालय	राजस्व परिषद (रेवेन्यू बोर्ड)
सिविल न्यायाधीश का न्यायालय	प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट का न्यायालय	कमिश्नर का न्यायालय
सिविल न्यायाधीश वर्ग (2) का न्यायालय	द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट का न्यायालय	कलेक्टर का न्यायालय
जिला दंडाधिकारी का न्यायालय	तृतीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट का न्यायालय	अतिरिक्त जिलाधीश का न्यायालय नायब तहसीलदार का न्यायालय

जिला स्तरीय न्याय व्यवस्था

- जिले का सबसे बड़ा न्यायालय या कोर्ट, जिला न्यायालय होता है।
- इस न्यायालय के न्यायाधीश को जिला एवं सत्र न्यायाधीश कहते हैं।
- जिला न्यायाधीश के नीचे सिविल जज और मजिस्ट्रेट होते हैं।
- फौजदारी के जिला न्यायालय को सेशन या सत्र न्यायालय कहते हैं। दीवानी को जिला न्यायालय कहते हैं।
- सत्र न्यायालय में सत्र न्यायाधीश या सेशन न्यायाधीश के रूप में जिला मजिस्ट्रेट रहते हैं। उन्हें जिला न्यायाधीश कहते हैं।
- जिला मजिस्ट्रेट या सेशन न्यायाधीश की सहायता के लिए अतिरिक्त न्यायाधीश होते हैं। इन्हें अतिरिक्त जिला न्यायाधीश कहते हैं।

दीवानी न्यायालय

- जिला न्यायालय में ₹ 5000 से कम के दीवानी मामलों की सुनवाई होती है।
- दीवानी न्यायाधीश के न्यायालय में किसी भी कीमत के मामलों की सुनवाई हो सकती है।
- मुंसिफ के न्यायालय दीवानी न्यायालय के अधीन कार्य करते हैं। ₹ 2000 तक के मामले की सुनवाई मुंसिफ करते हैं। इनकी अपील जिला न्यायाधीश के यहां होती है।

फौजदारी न्यायालय

- फौजदारी या आपराधिक मामलों के लिये जिले का सबसे बड़ा न्यायालय ''सत्र न्यायालय'' होता है।
- इसके न्यायाधीश को 'सत्र न्यायाधीश' कहते हैं।
- सत्र न्यायाधीश की सहायता के लिये अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश होते हैं।
- सत्र न्यायालय या सेशन न्यायालय में तीन तरह के जज या न्यायाधीश होते हैं :-

  - प्रथम श्रेणी के न्यायाधीश जिन्हें 2 साल की कैद और ₹ 1000 तक जुर्माना करने का अधिकार होता है।
  - द्वितीय श्रेणी के न्यायाधीश जिन्हें 6 महीने की कैद और ₹ 300 तक जुर्माना करने का अधिकार होता है।
  - तृतीय श्रेणी के न्यायाधीश जिन्हें 1 माह की कैद और ₹ 50 तक जुर्माना करने का अधिकार होता है।
  - गंभीर अथवा बड़े अपराध के मामले प्रथम श्रेणी के सत्र न्यायालय में चलते हैं।

राजस्व संबंधी न्यायालय

इस न्यायालय के अधीन कमिश्नर, जिलाधीश, तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार की अदालत आती है।

अन्य न्यायालय

अन्य न्यायालयों में आयकर एवं श्रम न्यायालय आते हैं।

पंचायती अदालत या ग्राम न्यायालय

इसका संबंध केन्द्रीय अनुच्छेद ग्राम न्यायालय से है।

- पंचायती राज में प्रत्येक गांव में ग्राम सभा गठित की जाती है।
- ग्राम सभा की बैठक में अध्यक्ष सरपंच होता है।
- सरपंच नहीं हो तो उप सरपंच अध्यक्ष होता है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में साधारण मामलों को ग्राम न्यायालयों में निपटाया जाता है।
- राज्य सरकार 10 या अधिक ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक ग्राम न्यायालय स्थापित कर सकती है।
- किसी भी मुकदमें में ग्राम न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है।
- इसके विरूद्ध दीवानी मामलों में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 के सामने, फौजदारी मामलों में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के साथ और राजस्व (रेवेन्यू) प्रकरणों में उपखंड अधिकारी के सामने पुनरीक्षण अपील के लिए आवेदन दिया जा सकता है।

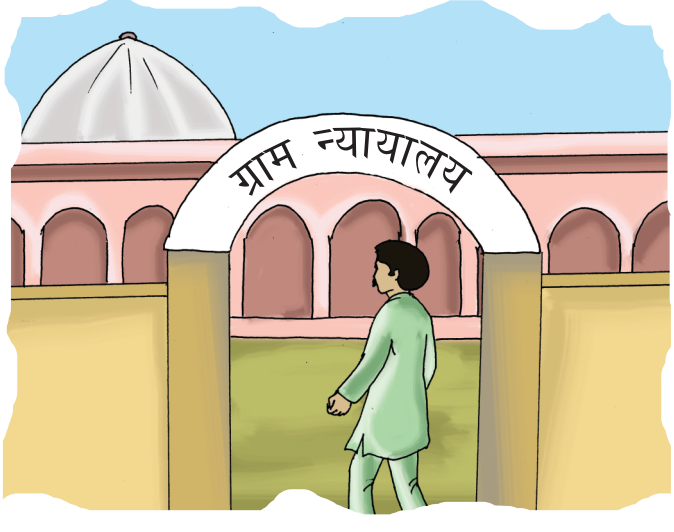

7. हमारे विशेष अधिकार हेतु गठित आयोग

मानव अधिकार आयोग

- आयोग का कार्य किसी भी व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और प्रतिष्ठा से जुड़े अधिकारों की रक्षा करना है।
- जब किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन हो और शासकीय कर्मचारी या लोक सेवक या अधिकारी उसकी सहायता करने के बजाए खुद उस व्यक्ति के मानव अधिकारों का उल्लंघन करने लगें तो मानव अधिकार आयोग को सादे कागज पर या फोन से पते या फोन नंबर पर शिकायत की जा सकती है।
- शिकायत प्राप्त करने पर संबंधित लोक सेवक की जांच आयोग कर सकता है और सरकार को सिफारिश या निर्देश दे सकता है।
- जिन संस्थाओं, कारखानों, अस्पतालों, जेलों, स्कूलों, सार्वजनिक जगहों पर या सुधार गृहों आदि में लोगों को आश्रय दिया जाता है या बंद रखा जाता है, जहां पर इलाज किया जाता है वहां पर सभी व्यवस्थाएं ठीक हों इसकी चिंता मानव अधिकार आयोग कर सकता है।
- अपराध होने पर एवं पुलिस को एफ. आई. आर. रिपोर्ट या सूचना देने पर भी यदि पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं की जाती या अन्य किसी भ्रष्ट कारणों से कार्यवाही होती है तो इसकी शिकायत आयोग को की जा सकती है।
- 7 राज्यों के मानव अधिकार आयोगों के पते माड्यूल के अंत में उपलब्ध हैं-

अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 में पहले एक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन का प्रावधान था।
- 2003 में 87 वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा एक नया अनुच्छेद 338 (क) जोड़कर अब एक के स्थान पर दो आयोग बनाये गये हैं।

  पहला - राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

  दूसरा - राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

- प्रत्येक आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और तीन सदस्य होते हैं।
- लगभग सभी राज्यों में भी अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग का गठन किया गया है।

अल्पसंख्यक आयोग

- अल्पसंख्यकों के विकास एवं सरकारी कामों की देखरेख।
- अल्पसंख्यक लोगों के कल्याण और संरक्षण के कार्यों की निगरानी।
- अल्पसंख्यकों को विकास, कल्याण और संरक्षण से वंचित करने की शिकायतों का शासन से निराकरण कराना।
- अल्पसंख्यकों से भेदभाव रोकने संबंधी उपायों की सिफारिश करना।
- अल्पसंख्यक के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास का अध्ययन, शोध एवं विश्लेषण करना।
- जब किसी अल्पसंख्यक के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह आयोग से शिकायत कर सकता है।
- आयोग को सिविल कोर्ट के पावर होते हैं।
- वह प्रकरण पंजीबद्ध कर नोटिस जारी करता है।
- दोषी पाये जाने पर सरकारी कार्यवाही के लिये लिखता है।
- अल्पसंख्यकों के लिये अनेक योजनायें इस आयोग के माध्यम से चल रही हैं।

महिला आयोग

पूरे देश में राज्य महिला आयोग बनाये गये हैं। उनके पते इस मॉड्यूल के अंत में संलग्न हैं।

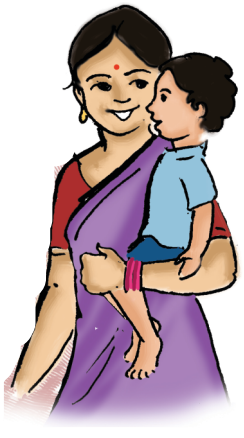

महिला आयोग के कार्य

- देश में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना।
- महिलाओं के हितों की देखभाल एवं उनकी सुरक्षा करना।
- महिलाओं से भेदभाव को खत्म करना।
- महिलाओं की गरिमा एवं सम्मान को सुनिश्चित करना।

- महिलाओं को विकास के बराबर मौके दिलाना।
- महिलाओं पर होने वाले अत्याचार या अपराध पर कार्यवाही करना।

महिला आयोग को सिविल कोर्ट के अधिकार हैं जो -

- किसी भी व्यक्ति को सम्मन भेज कर हाजिर करा सकता है। शपथ-पत्र लेकर जांच कर सकता है।
- दस्तावेज/कागज मंगा सकता है।
- शपथ-पत्र पर सबूत ले सकता है।
- महिला के अधिकार की रक्षा करने का काम आयोग करता है।
- किसी महिला के साथ अत्याचार होने पर वह लिखे पते पर सादे कागज पर आयोग में शिकायत दर्ज कर सकती है, जिस पर कार्यवाही की जाती है और महिला को न्याय दिलाया जाता है।

पिछड़ा वर्ग आयोग

आयोग के उद्देश्य

- पिछड़े वर्ग के लोगों के कल्याण के लिये बनाये कानून और उन्हें उपलब्ध सुविधाओं के अधिकारों की रक्षा करना।
- पिछड़े वर्ग के कल्याण एवं विकास के लिये योजना और नीति बनाना।
- पिछड़े वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिये शिक्षा, सामाजिक, आर्थिक विकास के कार्यक्रम तैयार करना।
- पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को स्कूल शिक्षा एवं कॉलेज शिक्षा के लिये छात्रवृत्ति दिलाना।

हमारे विशेष अधिकार हेतु गठित आयोगों के पते

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
फरीदकोट हाउस, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली पिन कोड 110001
फोन नं. 011.23384012 फेक्स नं. 011.23384863
ई-मेल : covdnhrc@nic.in, ionhrc@nic.in

मानव अधिकार आयोग, मध्यप्रदेश
पर्यावास भवन अरेरा हिल्स, भोपाल, म.प्र. पिन कोड 462001
फोन नं. 0755-2572034 फेक्स नं. 2574028
आयोग का टोल फ्री फोन नं. 1800-2336399 है।
जिस पर फोन करने के पैसे नहीं लगते हैं।

राज्य महिला आयोग मध्यप्रदेश
35, राजीव गांधी भवन, खण्ड-2, प्रथम तल, श्यामला हिल्स,
भोपाल, पिन - 462001
फोन 0755-2661813 फेक्स- 0755-2661806
जस्टिस शीला खन्ना (अध्यक्षा), मोबाइल नं. 944507786
श्रीमती ममता पाठक (अवर सचिव), मोबाइल 9425605168

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग
राज्य सचिवालय, जयपुर (राजस्थान), फोन नं. : 0141-227868,
ई-मेल : rshrecreg.nic.in

राष्ट्रीय महिला आयोग
4, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली पिन कोड 110002,
फोन नं. 11.23236154
फेक्स नं. 11-23219750, ई-मेल : ncwc@nic.in

राज्य महिला आयोग राजस्थान
लाल कोठी टोंक रोड, जयपुर

हमारे विशेष अधिकार हेतु गठित आयोगों के पते

राज्य मानव अधिकार आयोग, उत्तर प्रदेश
टी.सी./34, वी-1 विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश फोन नं. : 0522-2305801
ई-मेल : uphrecko@yahoo.co.in

राज्य महिला आयोग, उत्तर प्रदेश
7वां तल, इंदिरा भवन, लखनऊ,

छत्तीसगढ़ राज्य मानव अधिकार आयोग,
मंत्रालय के पास, रायपुर (छत्तीसगढ़),
फोन नं. : 0771-2235525,
ई-मेल : cghrcryp@sifi.com

राज्य महिला आयोग छततीसगढ़
एच.आई.जी. 10, कविता नगर, अवन्ती विहार, रायपुर, छ.ग.

बिहार राज्य मानव अधिकार आयोग
9 बैली रोड, पटना, बिहार, फोन नं. : 0612-2232289

राज्य महिला आयोग बिहार
9 बैली रोड, पटना, बिहार

उड़ीसा राज्य मानव अधिकार आयोग
तोशाली भवन कॉम्पलेक्स, दूसरा तल सत्यनगर
पोस्ट ऑफिस शहीद नगर, भुवनेश्वर (उड़ीसा),
फोन नं. : -674-2572166

राज्य महिला आयोग उड़ीसा
697, शहीद नगर, भुवनेश्वर

राज्य महिला आयोग झारखण्ड
इंजीनियर्स होस्टल नं. 2, प्रथम तल, रांची, झारखण्ड

हमने अब तक जाना....

भारत के संविधान में सभी लोगों के कल्याण की बात कही गयी है। संविधान को सारी ताकत देश की जनता से मिली है। संविधान देश का सबसे बड़ा कानून है। बाकी सब कानून इसी से बनते हैं। कानून एक माध्यम है जिसके जरिए हमें न्याय मिलता है।

इससे हमारे मौलिक एवं राजनैतिक अधिकार मिलते हैं। हमारे विशेष अधिकारों की रक्षा हेतु कई महत्वपूर्ण आयोग भी गठित किए हैं। जिनके माध्यम से विशेष वर्ग के लोगों को उनकी आवश्यकता अनुसार कानूनी संरक्षण प्राप्त होता है।

संदर्भ सामग्री

आईसेक्ट द्वारा निर्मित ''कानून को जानें'' श्रृंखला में जो भी पुस्तकें तैयार की गई हैं उनमें लेखकों द्वारा संदर्भ सामग्री के रूप में उन प्रतिष्ठित पुस्तक-पुस्तिकाओं की मदद ली गई है जो कानून की सटीक जानकारी देकर ''न्याय तक पहुंच'' परियोजना को सफल बनाने में ज्यादा उपयोगी हो सकें जैसेः कानून संबंधी प्रकाशन, कानूनी साक्षरता एवं प्रशिक्षण से जुड़ी संस्था मार्ग, सभी संबंधित राज्य संसाधन केन्द्र, जामिया मिलिया-नई दिल्ली, उत्तरांचल राज्य महिला आयोग एवं संबंधित राज्यों के राज्य विधिक सहायता प्राधिकरण। हम इन सभी संस्थाओं एवं प्रकाशकों के अत्यंत आभारी हैं। इनकी मदद से ही कानून से जुड़ी विविध और सटीक जानकारियों को हमारे स्त्रोत तथा अनुभव के साथ इन पुस्तकों में एकत्रित करने का प्रयास किया गया है ताकि इनका लाभ ''न्याय तक पहुंच'' परियोजना के माध्यम से हाशिये पर जी रहे और अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सके।

AISECT